कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–मा/सी–5/आर.पी.एस.सी.–2015/नियुक्ति– अर्थशास्त्र दिनांक–01.07.2017 के द्वारा व्याख्याता भर्ती 2015 में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से दिनांक 27.06.2017 एवं 29.06.2017 को व्याख्याता (अर्थशास्त्र) की अभिस्तावना प्राप्त होने पर याचिकार्थी गुडिया चौधरी एवं अन्य अर्थशास्त्र के व्याख्याताओं को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन किया गया। याचिकार्थियों ने उक्त भर्ती के अन्तर्गत अन्य विषयों में नियुक्त व्याख्याताओं के समान वेतनवृद्वि व अन्य नोशनल लाभ दिए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 16332/2019 गुडिया चौधरी व अन्य 73 बनाम राज्य व अन्य दायर की।

माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.09.2019 में उल्लेखित किया है कि "Prima facie, we are satisfied that it is a case of hardship, but since the state government has not examined this matter, we refrain from expressing any further opinion, except requiring the State Government to have the case of the petitioners examined for grant of one time relaxation, so as to consider their case and bring them at par with School Lecturers in different subjects appointed in the same process of selection held in pursuance of same advertisement by granting them one increment, may be notionally, with effect from 01-07-2019 considering that they were actually in service on that date and even prior thereto.

We, therefore, direct the State Government to undertake necessary exercise and pass appropriate order with regard thereto within a period of four months form the date of production of copy of this order. It goes without saying that in case grievances of the petitioners are not remedied, the petitioners would be at liberty to file fresh writ petition and also incorpating challenge to the order that may be passed by the State Government.

With the aforesaid direction, writ petition stands disposed of.

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी गुडिया चौधरी व अन्य द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 में अन्य चयनित व्याख्याताओं के समान 01 जुलाई 2019 सें काल्पनिक व स्थाईकरण दिनांक से वास्तविक वेतन वृद्वि दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2019 के विरूद्व समान प्रकरण में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका 4253/2019 रमेश चन्द्र सैनी व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2019 में रिव्यू दायर होने के कारण इस प्रकरण में भी रिव्यू याचिका संख्या 62/2020 दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2020 को रिव्यू में निम्न आदेश पारित करते हुए खारिज कर दी गई। "while passing the order dated 24.9.2019, no observation was made on the merits of the case and State was directed to consider the case of the petitioners and pass appropriate order within a period of four months from the date of production of copy of the order. माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में शासन के पत्र क्रमांक प.17(233) माध्य/शिक्षा–2/वि.प्र./2019 जयपुर दिनांक 11.02.2022 से निर्देश प्राप्त हुए। प्रकरण के अनुसार याचिकार्थीगण वर्तमान में व्याख्याता (अर्थशास्त्र) के पद पर कार्यरत है। प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 व्याख्याता (अर्थशास्त्र) में सभी पात्र अभ्यर्थियों का पदस्थापन, विभाग को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा अभिस्तावना सहित फार्म दिनांक 27.06.2017 एवं 29.06.2017 को इस कार्यालय को प्राप्त होने के पश्चात, विभागीय कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्राध्यापक अर्थशास्त्र के नियुक्ति आदेश दिनांक 01.07.2017 को जारी किये गये। इस संम्बन्ध में कार्यग्रहण दिनांक 01 जुलाई 2017 में आगामी वेतनवृद्वि के सम्बन्ध में प्रकरण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक शिविरा/माध्य/स्थिरी–अ /34851/2020–21 दिनांक 28.09.2020 द्वारा मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में वित्त (नियम) विभाग की प्रदत्त राय के अनुसार राज्य सरकार शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(25) शिक्षा–2/2020 जयपुर दिनांक 13.01.2021 द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस कार्मिक ने 01 जुलाई 2017 को मध्याह्न पूर्व परिवीक्षा पर कार्यग्रहण किया है एवं 02 वर्षीय परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक

Rajasthan Education Department

30 जून.2019 को पूर्ण होने पर 01 जुलाई 2019 को नियमितिकरण व स्थाईकरण किया जाकर नियमित वेतन स्वीकृत किया है, उस कार्मिक को प्रथम वार्षिक वेतनवृद्वि 01 जुलाई 2020 देय होगी।

माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए शिथिलन के निर्देश के क्रम में, याचिकार्थीगण व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का उपलब्ध अभिलेख व तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि–

1. याचिकार्थियों के व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2015 में व्याख्याता (अर्थशास्त्र) की राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से अभिस्तावना दिनांक 27.06.2017 एवं 29.06.2017 को प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जांच पश्चात आदेश दिनांक 01.07.2017 को नियुक्ति/पदस्थापन किया गया है। उक्त विषय के किसी भी अभ्यर्थी को दिनांक 01.07.2017 से पूर्व नियुक्ति/पदस्थापन नहीं किया गया है नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात अर्थशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों ने दिनांक 03.07.2017 से दिनांक 11.07.2017 तक कार्यग्रहण किया।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता भर्ती 2015 में विभिन्न विषयों में अभ्यर्थियों की अभिस्तावना दिनांक 07.10.2016 से 24.12.2019 तक प्रेषित की गयी। आवेदन जांच उपरान्त समय–समय पर नियुक्ति प्रदान की गई। इसमें से अन्य विषयों के व्याख्याताओं, जिनकी नियुक्ति दिनांक 30.06.2016 से पूर्व की गई थी उनमें से भी कंई अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 01.07.2017 के पश्चात कार्यग्रहण किया गया है उक्त सभी अभ्यर्थियों को लाभ कार्यग्रहण की दिनांक से ही दिया गया। यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि दिनांक 27.06.2017 से 29.06.2017 के मध्य अन्य विषय भूगोल व संस्कृत की लोक सेवा आयोग अजमेर से प्राप्त अभिस्तावना पर नियुक्ति आदेश उपरांत अभ्यार्थियों द्वारा दिनांक 30.06.2017 से 13.10.2017 के मध्य तक कार्यग्रहण किया गया तथा उन्हे भी कार्यग्रहण तिथि से ही लाभ दिया गया है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र विषय के चयनित उक्त याचिकार्थियों को अन्य विषय के व्याख्याता की तरह ही कार्यग्रहण तिथि से लाभ दिया गया है। शासन स्तर से विचाराधीन प्रकरण में वित्त विभाग को याचिकार्थियों को one time relaxation के लिए प्रकरण परीक्षण हेतु भिजवाये जाने पर विचाराधीन प्रकरण में अभ्यावेदन के निस्तारण के क्रम में नियमानुसार one time relaxation दिया जाना उचित नहीं माना है। याचिकार्थियों द्वारा दिनांक 30.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों के अनुसार वेतनवृद्धि व नोशनल परिलाभ की मांग शिथिलन योग्य नहीं पाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। उक्त प्रकरण में डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 16332/2019 गुडिया चौधरी व अन्य 73 बनाम राज्य सरकार व अन्य में वर्णित अन्य 73 याचिकार्थियों का प्रकरण समान होने के आधार पर उपर्युक्त समान यथास्थिति के आधार पर ही खारिज कर निस्तारित किया जाकर आदेश पारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/गुडिया चौधरी/या.स 16332/19/अव. 384/2020 दिनांकः– 13.02.2022

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
04. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
06. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
08. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
09. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर